वार्षिक 200/- रुपये मई 2026 वर्ष 28 अंक 07 पृष्ठ - 28 मूल्य 20/-रु.

गोसम्पदा

‘राममंदिर जैसा अभियान’ से ही रुकेगी गोवंश-हत्या: डॉ. भागवत

सम्पादकीय

‘राममंदिर जैसा अभियान’ से ही रुकेगी गोवंश-हत्या: डॉ. भागवत

वृंदावन (मथुरा) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने गत माह अपने संबोधन में गोसंरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह कार्य हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। समाज के हर व्यक्ति को इस कार्य के लिए जागरूक होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि **“राममंदिर जैसा अभियान”** चलाने से ही गोवंश–हत्या रुकेगी। वास्तव में जब 2019 के बाद पूरे देश में राममंदिर बनाने की मांग प्रारंभ हुई तो सर्वोच्च न्यायालय को भी निरंतर सुनवाई कर मंदिर बनाने का निर्णय देना पड़ा, तब उसके बाद अयोध्या में दिव्य–भव्य राममंदिर बन सका।

डॉ. भागवत जी का मानना है कि इसी प्रकार हम गोवंश संरक्षण–संवर्धन पर कार्य कर सकते हैं। वस्तुतः गोवंश संरक्षण–संवर्धन केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनका स्पष्टरूप से कहना है कि हमें देश में गोवंश–हत्या रोकनी है तो सम्पूर्ण समाज को, विशेष रूप से सभी हिन्दुओं को गोभक्त बनाना होगा, जिससे गोहत्या अपने आप बंद हो जाएगी। वे **“जगद्गुरु मलूकदास जी की”** 452वीं जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए वृंदावन पहुंचे थे। उन्होंने मलूकपीठ में जगदगुरु को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। यथार्थ में गाय व्यक्ति की जीविका का नैसर्गिक साधन है। उसके दूध, दही, घी और गोबर–गोमूत्र से निर्मित भोज्य पदार्थ, औषधियां, प्रसाधन, ईंधन आदि मनुष्य की जीविका के साधन तो हैं ही और धन प्राप्ति के स्रोत भी हैं। इसलिए उसके योगदान एवं स्वर्णिम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालें तो आदिकाल से ही गोमाता पूजनीय–वंदनीय–अभिनंदनीय रही है और अभी भी है। उनकी ममता का आंचल सम्पूर्ण मानवजाति पर एक समान है। समभाव से वह सभी का अपने अमृतरूपी दुग्ध से सिंचन व पोषण करती है। हिन्दू–मुस्लिम–ईसाई सहित सभी मानवों में कोई भेदभाव नहीं करती, इसीलिए वह सभी की माँ है। वेदों– पुराणों के अनुसार तो – **“गावो विश्वस्य मातरः”** अर्थात गाय किसी एक की माँ नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की माँ है। इसीलिए हम लोग **‘गोमाता’** के शरीर के साथ अपनी एकरूपता देखना सीखें। गाय के शरीर को कष्ट होने पर वह कष्ट हमीं को होगा – यह भाव मन में धारण करना नितांत आवश्यक है। वास्तव में गाय का हमारे साथ नैसर्गिक संबंध है। हम गोमाता के ही अंग हैं, इसलिए जो दुःख–कष्ट गाय को मिलता है, वह हमें ही मिलता है–यह मानना चाहिए और इसी भावना से गाय–गोवंश का पालन–पोषण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वयं अपने ऊपर दुःख–कष्ट आने पर जिस लगन–भावना के साथ उसका प्रतिकार किया जाता है, उसी उत्कट भावना के साथ गाय–गोवंश के दुखों–कष्टों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए।

यथार्थ में गोमाता सम्पूर्ण मानवजाति को सब कुछ देने में समर्थ होने के साथ ही **“भवसागर”** को पार कराने में भी सक्षम हैं। अतः गोमाता–गोवंश के महान योगदान को देखते हुए ही आजादी से पूर्व और उसके बाद गोवंश–हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु अनेक बड़े–बड़े आंदोलन किये गये, हजारों–हजार साधु–संतों–गोभक्तों ने अपना बलिदान दिया। बावजूद इसके भाजपा को छोड़कर कांग्रेस सहित अन्य दलों के शासकों द्वारा शासन–सत्ता बनाए रखने के लोभ–लालच में अभी तक गोवंश–हत्या को नहीं रोका जा सका। अब भाजपा सरकार का परम कर्तव्य है कि वह भारतमाता के ललाट पर लगा गोवंश–हत्या का काला कलंक मिटाने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही करे, जिससे गोमाता–गोवंश को बचाया जा सके। अतः यदि आध्यात्मिक–अहिंसक (पूर्व में) राष्ट्र **भारत को विकसित देश – विश्वगुरु** बनाना है तो गोवंश आधारित जीवनशैली अपनाना अनिवार्य है, अन्य कोई भी विकल्प नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में देश के सभी नागरिकों का परमधर्म है कि वे गोमाता–गोवंश का पालन–पोषण और संरक्षण–संवर्धन में तन–मन–धन और समय–दान देकर हरसंभव सहयोग दें।

(सम्पादक)

गोसम्पदा

वर्ष - 28 अंक-07 मई - 2026 पृष्ठ - 28

संरक्षक :
हुकुमचंद सावला जी

दिनेश उपाध्याय जी
अखिल भारतीय गोरक्षा प्रमुख
संकट मोचन आश्रम, सै. 6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-22
मो. : 9644642644
ईमेल : gosampada@gmail.com

सम्पादक : देवेन्द्र नायक
संकट मोचन आश्रम, सै. 6,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-22
मो. : 8130049868
ईमेल : gosampada@gmail.com

परामर्शदाता : प्रो. गुरुप्रसाद सिंह जी
मो. : 9838900596

प्रकाशक : राजेन्द्र प्रसाद सिंहल जी
मो. : 9810055638

प्रचार-प्रसार प्रमुख : डॉ. नरेश शर्मा जी
9811111602

व्यवस्थापक : रामानन्द यादव
मो. : 9958710672

साज-सज्जा : सुमन कुमार

वैधानिक सूचना

'गोसम्पदा' से संबन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 माह के अंदर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में मान्य होंगे

सहयोग राशि

एक प्रति : रु. 20/-
वार्षिक : रु. 200/-
आजीवन : रु. 2000/-

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
नन्दी की दिव्यता	04
ईश्वरीय कौतुक सृष्टि का महत्वपूर्ण अंग है गोवंश	07
राजमार्गों पर गोवंश की रोकथाम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त	09
गाय और पर्यावरण	10
भूमि पर साक्षात ईश्वर	13
वृद्धावस्था में विशेष लाभदायक है पंचगव्य	16
गौहत्या, लोक-व्यवस्था और निवारक निरोध	18
एक दृष्टि में मा. न्यायालय का निर्णय	20
Cow Slaughter & Public Order	21
The Societal and Cultural Dimensions of Panchgavya	22
The Cow: A Civilizational Symbol of Harmony, Sustainability, and Dharma	24

हार्दिक निवेदन

सभी गोभक्त-गोप्रेमी बंधुओं से करबद्ध अनुरोध है कि वे इस पत्रिका का सदस्य अवश्य बनें और अन्य गोभक्तों को भी सदस्य बनायें। कृपया सभी लोग अपना वार्षिक अथवा आजीवन सदस्यता शुल्क निम्नलिखित बैंक व खाता नंबर में जमा कराएं-

पंजाब नेशनल बैंक, बसंत लोक, नई दिल्ली
खाता नम्बर - 04072010038910
IFSC CODE : PUNB0040710

नोट : शुल्क **"भारतीय गोवंश रक्षण संवर्द्धन परिषद"** के नाम पर जमा करें। सम्पर्क सूत्र : 011-26174732

आचार्य डॉक्टर विवेक

नन्दी की दिव्यता

नन्दी का मूल तत्त्व

भारतीय सनातन परंपरा में नन्दी का स्थान अत्यंत विशिष्ट और गूढ़ है। सामान्य दृष्टि से नन्दी भगवान शिव के वाहन माने जाते हैं, परंतु यदि शास्त्रों, योग और तंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो नन्दी केवल एक प्रतीकात्मक जीव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का जीवंत स्वरूप हैं। **"नन्दी"** शब्द की व्युत्पत्ति **"नन्द"** धातु से हुई है– *नन्दयति इति नन्दी* – जो आनंद देता है वही नन्दी है। यहाँ आनंद का अर्थ सांसारिक सुख नहीं, बल्कि परमानंद है, जो आत्मा के परमात्मा से मिलन पर प्राप्त होता है। यह आनंद स्थायी, शाश्वत और अविनाशी होता है। नन्दी इस आनंद के प्रतीक हैं और यही कारण है कि वे सदैव शांत, स्थिर और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अंतरात्मा में स्थित आनंद ही सच्चा सुख है। नन्दी शिव के द्वारपाल भी हैं। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो साधक नन्दी के गुणों को धारण करता है वही शिव तक पहुँच सकता है।

नन्दी की प्राप्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक उपलब्धि है। तप, संयम और भक्ति के माध्यम से साधक धीरे–धीरे अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है। जब मन पूर्णत: निर्मल हो जाता है तब उसमें शिव का प्रकाश प्रकट होता है और यही अवस्था ''नन्दी'' है। नन्दी का शिवत्व प्राप्त करना इस बात का संकेत है कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान से अलग रहना नहीं, बल्कि उनमें एकाकार हो जाना है।

वृषभ और धर्म का गहन संबंध

नन्दी का स्वरूप वृषभ (बैल) है और **"वृष"** शब्द का अर्थ होता है – **धर्म।** शास्त्रों में कहा गया है – *वृषो हि भगवान् धर्मः* अर्थात् धर्म ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है।

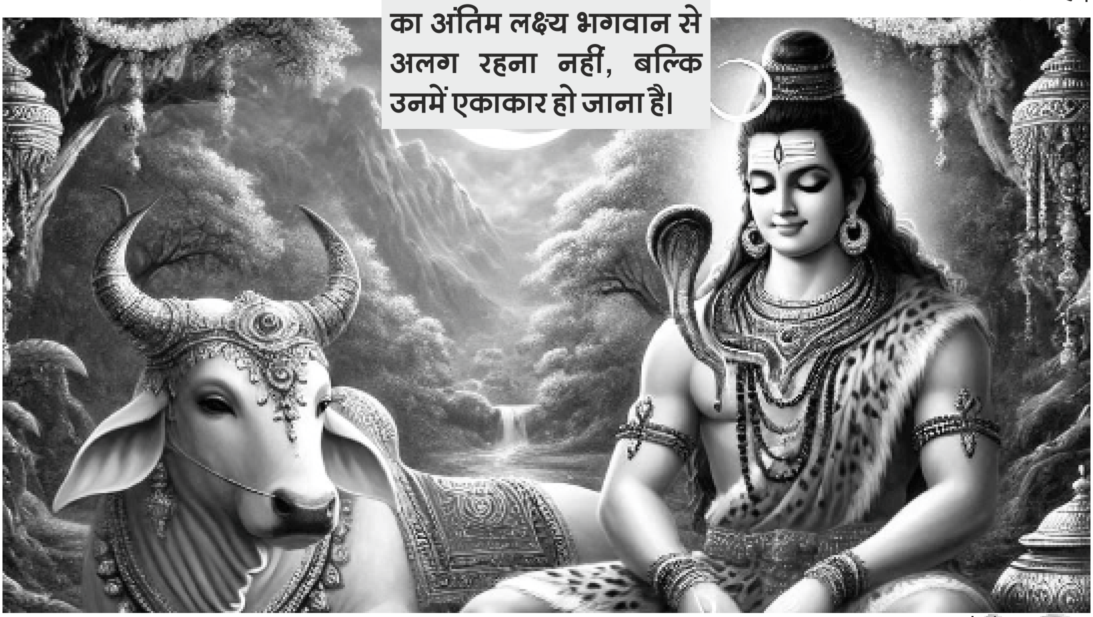

नन्दी के चार पैर चार मूल स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं– **सत्य,** जो कभी नहीं बदलता। **तप** – आत्मसंयम और अनुशासन। **दया** – करुणा और प्रेम। **दान** – त्याग और सेवा। जब ये चारों संतुलित होते हैं तब जीवन पूर्ण और संतुलित बनता है। कलियुग में इन चारों का ह्रास होता है, इसलिए मनुष्य अस्थिर और अशांत हो जाता है। नन्दी का स्थिर बैठा हुआ रूप यह संदेश देता है कि धर्म को स्थिर रखो, जीवन स्वयं संतुलित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वृषभ का अर्थ **"वर्षा"** से भी जुड़ा है, जो जीवनदायी शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार नन्दी केवल धर्म ही नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा और पोषण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

साधना, नन्दी और आत्मबोध

शिलाद ऋषि की कथा हमें यह सिखाती है कि नन्दी की प्राप्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक उपलब्धि है। **तप, संयम और भक्ति** के माध्यम से साधक धीरे–धीरे अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है। जब मन पूर्णतः निर्मल हो जाता है तब उसमें शिव का प्रकाश प्रकट होता है और यही अवस्था **"नन्दी"** है। नन्दी का शिवत्व प्राप्त करना इस बात का संकेत है कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान से अलग रहना नहीं, बल्कि उनमें एकाकार हो जाना है। ध्यान की दृष्टि से देखें तो नन्दी की स्थिर दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे बिना विचलित हुए केवल शिवलिंग को देखते हैं। यह हमें सिखाता है कि मन को इधर–उधर भटकने न दें, एक लक्ष्य निर्धारित करें, उसी में पूर्णतः स्थित हो जाएँ। यही योग है, यही ध्यान है, और यही आत्मबोध का मार्ग है।

नन्दी, योग और आंतरिक विज्ञान

योग दर्शन के अनुसार नन्दी को प्राण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिव = चेतना और नन्दी = प्राण। जब प्राण अस्थिर होता है तब मन भी अस्थिर होता है। जब प्राण नियंत्रित होता है तब मन शांत हो जाता है। **इसलिए नन्दी का स्थिर बैठा हुआ रूप वास्तव में प्राणायाम और ध्यान का प्रतीक है। नन्दी को "आदि योगी के प्रथम शिष्य" के रूप में भी देखा जाता है।** इसका अर्थ यह है कि ज्ञान केवल गुरु से ही प्राप्त होता है और उसके लिए शिष्य का पूर्ण समर्पण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नन्दी का संबंध **"नाद"** से भी है – *नादः शिवः, नन्दी नादवाहकः* यह बताता है कि सम्पूर्ण सृष्टि ध्वनि **ॐ** से उत्पन्न हुई है और नन्दी उस दिव्य ध्वनि के वाहक हैं। इस प्रकार नन्दी केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय विज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नन्दी का जीवन में प्रयोग

यदि हम नन्दी को केवल मंदिर तक सीमित रखें तो हम उनके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाएँगे। नन्दी को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची साधना है। नन्दी हमें सिखाते हैं कि **स्थिरता**– परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मन शांत रहे। **समर्पण**–अहंकार का पूर्ण त्याग। **धर्म पालन**–सत्य, दया, तप और दान का अनुसरण। **एकाग्रता** – लक्ष्य पर अडिग रहना। जब मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है तब वह धीरे–धीरे नन्दी के समान बन जाता है। जब वह नन्दी बन जाता है तब वह शिव से अलग नहीं रहता। नन्दी कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि हमारी ही एक संभावित अवस्था है। जब हम अपने भीतर के विकारों को समाप्त कर देते हैं तब हम स्वयं नन्दी बन जाते हैं।

साधना का सार

"नन्दी बनना ही शिव तक पहुँचने का मार्ग है।" मन को स्थिर करो, प्राण को नियंत्रित करो, धर्म का पालन करो और पूर्ण समर्पण से शिव में लीन हो जाओ।

आज के समय में 'नंदी की रक्षा'

व्यापक रूप से गोवंश (विशेषकर बैल/नंदी) – पर्यावरण और हमारी परंपरा की रक्षा से जुड़ा हुआ है। नंदी केवल मंदिर में विराजमान प्रतिमा ही नहीं, बल्कि शिव के जीवंत सिद्धांत–धैर्य, सेवा और संरक्षण का प्रतीक भी हैं। इसलिए उपाय भी व्यावहारिक और ज़मीन से जुड़े होने चाहिए :

1. गोवंश की वास्तविक सेवा (सिर्फ पूजा नहीं) – आसपास के छुट्टा बैल/गायों को नियमित चारा, पानी देना, स्थानीय गौशालाओं को दान या स्वयंसेवा देना। घायल प्राणियों के इलाज के लिए NGO या पशु चिकित्सकों से संपर्क करना। केवल "नंदी को जल चढ़ाना" पर्याप्त नहीं, जीवित नंदी की सेवा ही सच्ची पूजा है।

2. कानूनी और सामाजिक जागरूकता – अपने क्षेत्र में पशु क्रूरता या अवैध परिवहन दिखे तो पुलिस को शिकायत करें – Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के तहत कार्रवाई संभव है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचित करना भी एक बड़ा योगदान है।

3. प्लास्टिक और कचरे से सुरक्षा – सड़कों पर घूमने वाले गोवंश अकसर प्लास्टिक खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। अपने घर और मोहल्ले में कचरा प्रबंधन सही रखें। यह छोटा कदम सीधे "नंदी रक्षा" से जुड़ा है।

4. पारंपरिक कृषि और बैलों का पुनः उपयोग – आज ट्रैक्टर के कारण बैलों का उपयोग कम हो गया है, जिससे वे "बेकार" मान लिए जाते हैं। जैविक खेती और बैल–आधारित कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। इससे नंदी (बैल) का सम्मान और उपयोग दोनों बढ़ेंगे।

5. मंदिरों में नंदी की सार्थक पूजा – भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा करते समय संकल्प लें कि – **"मैं किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा।" "मैं नंदी की रक्षा का प्रयास करूंगा।"**

6. युवाओं में जागरूकता फैलाना – बच्चों और युवाओं को बताएं कि नंदी केवल कथा नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी और करुणा का प्रतीक हैं। स्कूल, सोशल मीडिया या स्थानीय समूहों में जागरूकता फैलाएं।

7. स्थानीय स्तर पर छोटे प्रयास – "एक मोहल्ला – एक जल पात्र" अभियान, गर्मी में पानी के टब रखना। सर्दी में कमजोर प्राणियों के लिए आश्रय की व्यवस्था।

हरीशंकर दीक्षित (पथिक)

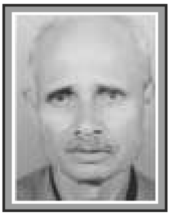

ईश्वरीय कौतुक सृष्टि का महत्वपूर्ण अंग है गोवंश

हमारे आर्ष ग्रन्थों में सेवा को पूजा कहा गया है। गोवंश हमारे देश में आदिकाल से ही मातृ–पितृवत पूजनीय माना गया है। गोवंश की पूजा से तात्पर्य उसका पालन–पोषण और रक्षारूपी सेवा से है। जो मनुष्य गोवंश का पालन–पोषण और रक्षा करता है वही वास्तविक गोसेवक है। गोवंश की पूजा करने वाला व्यक्ति उसके आशीर्वादरूप में दुग्धरूपी अमृत प्राप्त करता है। यही नहीं, औषधीय गुणों से युक्त गोमय (गोबर) और मूत्र भी गोमाता उसे देती है जो अनेक रोगों को दूर करने में सक्षम है। गोमाता के नर वत्स तो मनुष्य की आजीविका के प्राकृतिक आधार ही हैं। इनका उपयोग कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग–धन्धों के अतिरिक्त सामान्य परिवहन में आदिकाल से होता आ रहा है। ईश्वर ने गोवंश को मानव जीवन के प्राकृतिक आधार रूप में मनुष्य से प्रथम क्रमांक पर रचा–सिरजा है। यह बात सृष्टि रचना का गहन अध्ययन करने वाले हमारे उन पुण्यात्मा पूर्वजों ने कही है जिन्होंने **गोसेवा को मनुष्य का परम धर्म कहा है।**

अपने सृष्टि कौतुक की पूर्णता के लिये ही ईश्वर ने हमारे सौर मण्डल की रचना की है। सौरमण्डल में हमारी धरती की संरचना इस प्रकार की गयी है कि इसे सूर्य से जैविक रचना करने के लिये वांछित ऊर्जा (ताप) मिले और आगे भी मिलती रहे, जिससे धरती की जैविक सृष्टि की गतिशीलता कल्पान्त तक अक्षुण्ण भी रहे। इसके लिये सौरमण्डल के अन्य ग्रहों के साथ धरती का भी अपनी धुरी पर सुनिश्चित गति से घूर्णन करते हुए सूर्य का परिभ्रमण अन्य ग्रहों के साथ सामंजस्य बनाये रखते हुए करना भी ईश्वरीय विधान है। यदि ऐसा नहीं होता तो समस्त ग्रह परस्पर टकराकर नष्ट हो जाते। यही नहीं, सौरमण्डल के समस्त ग्रहों की घूर्णन तथा परिभ्रमण गति की भिन्नता उनके दिनों तथा वर्षों की अवधि में एक कारण है जो धरती पर जैविक सृष्टि की निरन्तरता के लिए आवश्यक है।

नन्दी की प्राप्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक उपलब्धि है। तप, संयम और भक्ति के माध्यम से साधक धीरे– धीरे अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करता है। जब मन पूर्णत: निर्मल हो जाता है तब उसमें शिव का प्रकाश प्रकट होता है और यही अवस्था ''नन्दी'' है। नन्दी का शिवत्व प्राप्त करना इस बात का संकेत है कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान से अलग रहना नहीं, बल्कि उनमें एकाकार हो जाना है।

हमारी धरती पर जैविक सृष्टि की रचना और इसकी कल्पान्त तक निरन्तरता के लिये ईश्वर ने सुनियोजित रूप से कितनी प्रक्रियायें पूर्ण की हैं इसकी कल्पना सामान्य मनुष्य की बुद्धि में आना असम्भव है। हमारे आदि पुण्यात्मा पूर्वजों के मन में यह बात जिग्यासा रूप में उत्पन्न हुई तो उन्होंने सृष्टि का गहन अध्ययन करके चिन्तन–मंथन द्वारा तथ्यों को प्राप्त कर संसार को सृष्टि रचना के ईश्वरीय उद्‌देश्य से अवगत कराया। उन्होंने ईश्वरेच्छानुसार मानव कर्तव्यों का निर्धारण कर इन कर्तव्यों को धर्म कहा। उन्होंने धर्म को जाति–पन्थ या क्षेत्र का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा प्रत्येक प्राणी ही नहीं गृह–नक्षत्रों के भी कर्तव्य ईश्वर द्वारा निर्धारित है और ईश्वर की भाँति ही सनातन हैं अर्थात् सदा से हैं और सदैव रहेंगे। स्पष्ट है कि धर्म कर्तव्यों की एकवचनीय संज्ञा है और अनादि–अक्षर है, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर है। माना जाता है कि प्रतिदिन (ईश्वरीय दिन जिसे कल्प कहा गया है) ईश्वर सृष्टि रचना करता है और सन्ध्या होते ही इसका समापन करके रात्रि विश्राम के पश्चात् ऊषाकाल में पुनः रचना प्रारम्भ करता है। यही रचना ईश्वरीय कौतुक कही गयी है।

हमारे आदि पूर्वजों के अनुसार अनन्त आकाश में व्याप्त असंख्य परमाणुओं को ईश्वर ने चाक की भाँति नचाकर इनके आकर्षण– विकर्षण के गुणों के आधार पर अनन्त आकाश के अत्यल्प भाग में एक महापिण्ड की रचना की जो अपनी धुरी पर घूर्णन करता हुआ परिपक्व होने पर भीषण रोर करता हुआ फटा। इसके छितराव से असंख्य ग्रहों–नक्षत्रों की रचना हुई। इन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी है जिस पर कालान्तर में प्रथम वनस्पति की उत्पत्ति हुई। प्रथम वनस्पति काई उत्पन्न होने से धरती पर पारिस्थितिकी कुछ उन्नत हुई तब अन्य वनस्पतियाँ, फिर कृमि–कीट और पशु–पक्षी उत्पन्न हुए। ऐसा क्रमशः परिस्थितिकी के उन्नत होते रहने से ही सम्भव हुआ। जन्तुओं में क्रमशः दो प्राणी जो विशेष गुण सम्पन्न थे गाय और मनुष्य अन्त में उत्पन्न हुए। ईश्वर ने इन्हें अपने सृष्टि कौतुक के निमित्त विशेष उद्‌देश्य से सृष्टि की निरन्तरता बनाने के लिये प्रकृति के सहचर–सहायक के रूप में उत्पन्न किया है।

हमारे पुण्यात्म पूर्वजों ने विस्तार से उपदेश रूप में इसका वर्णन वेदों में किया है। गोवंश को सृष्टि की निरन्तरता का आधार बताते हुए इसके महत्व और महत्ता का वर्णन अनेक ऋचाओं में स्थान–स्थान पर अन्तरिक्षीय शक्ति इन्द्र की स्तुति इसकी रक्षा करते रहने के लिये की गयी है। गोपालन–पोषण और रक्षा–सेवा मनुष्य का परम कर्तव्य बताते हुए गोमाता की शक्ति–सम्पदा के आधार पर जीवनयापन करना भवसागर से पार पाने का सरल उपाय बताया गया है। संसार सागर ही वह वैतरणी है जिसे गोमाता की पूछ के अवलम्बन से पार करने का वर्णन पुराणों की शैली में है।

आदिकाल से ही मनुष्य गोवंश

की सेवा–रक्षा करता हुआ प्राप्त प्रतिफल के आधार पर अपना जीवनयापन ईश्वरीय इच्छानुसार करता आया है। आधुनिक मशीनी युग के दुष्प्रभाव के कारण आज का मनुष्य विलासमदमाता हो स्वधर्म विमुख आचरण करता हुआ गोवंश की उपेक्षा–तिरस्कार करके धरती की सुन्दर सृष्टि के विनाश का कारण बनता जा रहा है। इस तथ्य से परिचित होते हुए भी कि वह भी इस सृष्टि का महत्वपूर्ण अंग है। उसके इस दुष्कृत्य के कारण उसकी भावी सन्तानों का जीवन भी अन्ततः समूल नष्ट हो जायेगा। **''विनाश काले विपरीत बुद्धि''** लोकोक्ति आज के मनुष्य पर सर्वथा सत्यसिद्ध होती जा रही है।

आज का मनुष्य इतना संवेदनहीन हो चुका है कि उस पर उपदेशों का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पड़े भी कैसे, वह तो आकण्ठ विलासिता के पंक में डूबकर मशीनी जाल में उलझकर पथभ्रष्ट हो चुका है। हमारे देश में लोकतान्त्रिक शासन पद्धति है किन्तु शायद ही किसी को लोक का अर्थ ज्ञात हो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें **लोक का अर्थ चराचर जगत् होना ज्ञात है? लोकतन्त्र का अर्थ है जगत को व्यवस्थित रखने वाला तन्त्र।** इस तन्त्र का ज्ञान हमारे आदि पूर्वजों को था। उन्होंने इसी आधार पर मानव धर्मशास्त्र की रचना की है। जब तक मनुष्य इस शास्त्र के अनुसार व्यवहार–आचरण करता रहा तब तक सर्वत्र सुख–शांतिपूर्वक लोग आनन्दमय जीवन जीते रहे। शनै–शनै इस व्यवस्था में विकार उत्पन्न होना प्रारम्भ हुआ और आज यह व्यवस्था इतनी दूषित हो चुकी है कि आज लोक का अर्थ केवल मानव समुदाय तक सीमित हो गया है; इसमें भी धनी–बली लोगों का प्रभुत्व है। आज के लोक में मानवेत्तर प्राणियों का स्थान नगण्य है। यदि है भी तो केवल ह्रिन्स पशुओं का जिनके लिए अभयारण्यों की व्यवस्था सरकारें करती हैं।

हमारे देश में गोवंश के लिए सरकार तथा अनेक सामाजिक संगठनों ने जो आश्रयस्थल बनाये हैं उनमें नरवत्सों की शक्ति का उपयोग करने पर कभी विचार ही नहीं किया जाता। इस कारण वे पूर्णरूपेण भार होने के कारण प्रायः उपेक्षित रहते हैं। यदि इनकी शक्ति का उपयोग सुनिश्चित किया जाय तो यह संस्थाओं पर भार न होकर आय का आधार सिद्ध होकर कृषकों तथा उद्यमियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इससे इनकी शक्ति वृथा नष्ट न होकर देश के काम आयेगी और मशीनों से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। जब तक हम नर गोवंश की शक्ति का उपयोग फिर से नहीं करेंगे तब तक गोवंश का दुख–दर्द दूर नहीं होगा। अन्य उपाय वृथा सिद्ध होते रहेंगे।

राजमार्गों पर गोवंश की रोकथाम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली (दैनिक जागरण) : सुप्रीम कोर्ट ने गत माह एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई कर केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व पशु कल्याण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में देश भर के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर बेसहारा गोवंश के प्रवेश को रोकने के लिए ठोस दिशा–निर्देश बनाने की मांग की गई है।

दो जजों की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई राज्य 10 प्रतिशत 'गौ उपकर' तो वसूल रहे हैं, लेकिन बेसहारा गोवंश की समस्या के समाधान के

लिए जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर रहे हैं। **याचिकाकर्ता 'लायर्स फार ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल'** ने कोर्ट से मांग की है कि राजमार्गों, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से बाड़ेबंदी की जाए। साथ ही, गोवंश को बेसहारा छोड़ने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई व वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित गौशालाओं की स्थापना के लिए अलग से बजट आवंटित करने का आग्रह किया गया है।

डॉ. विजय लक्ष्मी (अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड)

गाय और पर्यावरण

गाय पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाय की विशेषरूप से देसी नस्ल, पर्यावरण के अनुकूल है और उनका पालन–पोषण सतत विकास (Sustainable Development) का प्रमुख आधार है, जो न केवल कृषि बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गाय के घी–चावल आदि हवन सामग्री से जब हवन किया जाता है तब वातावरण स्वच्छ बनने के साथ ही अनेक गैसों का निर्माण होता है, जिसमें ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा रहती है जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। इसलिए गाय की उपस्थिति का पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वी पर ग्रीनकवर अर्थात हरित पट्टी के निरंतर विनाश को गोवंश के संरक्षण से रोका जा सकता है। गोसंरक्षण पर्यावरण संरक्षण है, इसलिए गोरक्षा, गोपालन और गोसंवर्धन अत्यंत आवश्यक है। गाय हमारी कृषि प्रणालियों की कृषि– पारिस्थितिक अखंडता, कृषि–जैव विविधता, कृषि विविधीकरण, पोषक चक्रण और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाय हमें भोजन के अलावा भी अनेक प्रकार के लाभ भी प्रदान करती है। वे विभिन्न माध्यमों से एक स्थाई पर्यावरण को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। देसी गाय और पारंपरिक कृषि पद्धतियां पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर काम करती हैं। गाय और पर्यावरण का संबंध अत्यंत गहरा और द्वंदात्मक है। देसी गाय का गोबर –गोमूत्र और कृषि आधारित जीवन शैली, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर जैवउर्वरक प्रदान कर टिकाऊ खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण को बचाती है। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देकर और भूमिक्षरण को कम करके मिट्टी को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। आक्रामक खरपतवार, विशेष रूप से जब वे घनी झाड़ियाँ और सूखी घास उगाते हैं, तो आग

को फैलने के लिए ईंधन प्रदान करते हैं। समस्या उत्पन्न होने से पहले ही इन पौधों को खाने के लिए गायों की मौजूदगी आग के प्रभाव को कम करती है। गाय पालन आर्थिक, स्वास्थ्य और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत लाभदायक है। गाय से प्राप्त सभी उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। इनका उपयोग मिट्टी को समृद्ध करता है। वास्तव में गोबर और गोमूत्र अन्य जैविक पदार्थों के साथ मिलकर मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता को सुधारने और बनाए रखने वाले प्रमुख पदार्थ में से हैं। गोबर एक बहुत अच्छा कीटाणुनाशक है। प्राचीन काल में गोबर को पानी में मिलाकर घरों के सामने प्रतिदिन कीटाणुनाशक के रूप में छिड़का जाता था। आधुनिक युग में स्वच्छता के प्रति हमारी गलत धारणा के कारण गोबर को गंदा माना जाता है, लेकिन सच्चाई से प्रत्येक व्यक्ति अनभिज्ञ है। गोबर गैस ग्रामीण परिवारों के लिए एक बहुत ही किफायती और पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक ईंधन साबित हुई है। रूस में हुए शोध से 'गोमाय' से निकलने वाले धुएं के कीटाणुनाशक और प्रदूषणरोधी गुणों का प्रमाण मिला है। इसके अलावा, चेर्नोबिल परमाणु रिसाव के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल किया गया था। वेदों में कहा गया है कि वनों और कृषि योग्य भूमि की रक्षार्थ गायों को चरने के लिए खुला छोड़ा जाना चाहिए। वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि वनों के संरक्षण में गायों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को प्रमाणित करने में **एलन सेवरी** का नाम उल्लेखनीय है। गायों के वन में विचरने से गोचर और वन क्षेत्र हरे–भरे रहते हैं, जिससे पर्यावरण का संरक्षण होता है। ऋग्वेद में बंजर भूमि को गायों द्वारा कृषि योग्य बनाने की बात कही गई है। शोधों से पता चला है कि गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती ने मिट्टी की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा दिया है। किसानों को रसायनों और खतरनाक जहरीले पदार्थों के साथ भूमि को नष्ट किए बिना विविध फसलों को लेना संभव है। यह भी देखा जाता है कि कृषि विधियों में जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किए जाने पर क्षेत्र में जल तालिका भी बढ़ जाती है। इससे खेतों में और इसके आसपास एक बेहतर जैव–विविध वातावरण का नेतृत्व किया है। इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा है। प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए **कृषि वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से इको–फ्रेंडली ईंधन बनाने का एक विकल्प खोजा है।** यह ईंधन अत्यंत सस्ता है और इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। जलाऊ लकड़ी, ईंधन के लिए सर्वाधिक सुलभ साधन था लेकिन अब यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। पर्यावरण को संतुलित करने की दृष्टि से ईंधन के स्रोत के रूप में वृक्षों पर यह निर्भरता घटाने में **'गोकाष्ठ'** हमें मदद कर सकता

कृषि वैज्ञानिकों ने गाय के गोबर से इको–फ्रेंडली ईंधन बनाने का एक विकल्प खोजा है। यह ईंधन अत्यंत सस्ता है और इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। जलाऊ लकड़ी, ईंधन के लिए सर्वाधिक सुलभ साधन था लेकिन अब यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। पर्यावरण को संतुलित करने की दृष्टि से ईंधन के स्रोत के रूप में वृक्षों पर यह निर्भरता घटाने में 'गोकाष्ठ' हमें मदद कर सकता है।

है। गाय के गोबर से इको– फ्रेंडली ईंधन बनाने हेतु लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होगी। आज मनुष्य के स्वयं के कल्याण हेतु विश्व की रक्षा हेतु पर्यावरण के बचाव के लिए तथा समग्र अक्षय विकास के लिए गाय के संवर्धन की नितांत आवश्यकता है। भारत में गाय की लगभग 40 से अधिक अच्छी नस्लें अभी भी बची हुई हैं। गैर वर्णित नस्लों की संख्या अभी भी कहीं बहुत अधिक है। प्रत्येक नस्ल में विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे कि दूध देने की क्षमता, खेती कार्यों की क्षमता, चारे के उत्पाद में रूपांतरण दक्षता, भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप कृषि क्रियाओं की नैसर्गिक दक्षता आदि। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शिरोविच का कहना है कि उन्होंने रेडियो विकिरण से बचाव के संबंध में अनेक प्रयोग किए हैं। उनमें सबसे अधिक कारगर बचाव गाय से प्राप्त उपादानों से संभव है। शिरोविच का कहना है कि गाय के दूध में रेडियो विकिरण से बचाव एवं सुरक्षा की सर्वाधिक क्षमता है।

गोघृत को अन्य हवन सामग्री के साथ जब आग में डाला जाता है तब वायुमंडल में बिखरे रेडिएशन का प्रभाव कम हो जाता है, साथ ही ऑक्सीजन गैस का निर्माण तो होता ही है। गाय के गोबर से सीमेंट, पेंट और ईंट बनाकर भी पर्यावरण नियंत्रण में योगदान किया जा सकता है। यदि गाय (गोवंश) परिवार में है तो भोजन (पोषण) द्वारा जहां शरीर की रक्षा होती है वहीं यज्ञ द्वारा बाह्य पर्यावरण भी शुद्ध और पवित्र रहता है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के एक अनिवार्य अंग के रूप में गाय सदियों से मानव अस्तित्व और समृद्धि का अभिन्न अंग रही हैं। मानव समाज में गाय की निरंतर उपस्थिति सांस्कृतिक परंपराओं, आर्थिक प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्संबंध की याद दिलाती है। इस अंतर्संबंध को अपनाकर हम ऐसे भविष्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं, जहां गाय (गोवंश) पालन के लाभों को अधिकतम किया जा सके और इसकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।

पूजा पाराशर (कवयित्री, स्वतंत्र लेखिका)

भूमि पर साक्षात ईश्वर

किसी भी कार्य को करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है और यह भाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से उत्पन्न होता है। किसी कार्य को सफल बनाने हेतु सदैव सकारात्मक भाव की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रेम समाहित होता है। प्रेम भाव से किया गया कार्य सेवा का रूप धारण करता है जो पूर्णतः निस्वार्थ होता है और आज हमारी गोमाता के लिए इसी निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता है।

आज हम कितना भी गौ संरक्षण की बात करें, गौसेवा की बात करें परंतु यह तब तक सफल नहीं होगा जब तक गाय के लिए वही प्रेम भाव, वही सेवा भाव उत्पन्न नहीं होगा जो अपनी माँ के लिए होता है। आज गौसेवा की बात अवश्य हो रही है, लेकिन गाय की दशा देखी जाए तो अत्यंत ही दयनीय प्रतीत होती है। ऐसे में संरक्षण की बात हम तभी कर सकते हैं जब हमारी गाय सबला होगी। वह अपने सभी लाभ तभी दे सकती है जब व्यक्ति के ह्रदय में वही श्रद्धा, वही भाव हो जैसा कि हम सदैव वेद, पुराणों–शास्त्रों, गीता, महाभारत, रामायण, प्राचीन प्रत्येक पौराणिक कथाओं में पढ़ते – सुनते आए हैं। गाय अपने लाभ तभी दे सकती है जब महर्षि वशिष्ठ जैसा कोई सेवक हो जिसने विश्वरथ जैसे राजा को विश्वामित्र बना दिया, जिसका कारण भी स्वयं गोमाता ही रहीं। गुरु नानक, गौतम, नामदेव, जमदग्नि या फिर विष्णु अवतार राम – कृष्ण ही क्यों न हों, सभी गाय के प्रेमी और पूजक रहे।

महाभारत के अनुशासन पर्व में दिखाया गया है कि जब युधिष्ठिर पितामह से पूछते हैं कि ऐसी कौन–सी वस्तु अक्षय होती है जिसके दान से पितर अधिक दिन तक और किसके दान से अनन्त काल तक तृप्त रहते हैं? पितामह भीष्म युधिष्ठिर को उत्तर देते हुये कहते हैं कि यदि श्राद्ध में गाय का दही दान किया जाये तो उससे पितरों को एक वर्ष तक तृप्ति होती है। गाय के दूध से बने घृत मिश्रित खीर को भी दही के समान ही फल बताया गया है।

गव्येन दत्तं श्राद्धे तु संवत्सरमिहोच्यते।
यथा गव्यं तथा युक्तं पायसं सर्पिषा सह।।

महाभारत अनुशासनपर्व,
अध्याय ८८, श्लोक ५

गौ साक्षात यज्ञ है, एक अनुष्ठान है। इसके बिना किसी भी पवित्र विधि का सम्पन्न होना असंभव है। इसके बिना कोई भी यज्ञ संभव नहीं।

देवता, ब्राह्मण कि तृप्ति गौ द्वारा प्राप्त पंचगव्यादि से है। महर्षि पराशर के अनुसार ब्रह्माजी ने एक ही कुल के दो भाग कर दिए – एक भाग **'गाय'** और एक भाग **'ब्राह्मण'**। ब्राह्मणों में मन्त्र प्रतिष्ठित हैं और गायों में हविष्य प्रतिष्ठित है। अतः गायों से ही सारे यज्ञों की प्रतिष्ठा है।

स्कन्दपुराण में ब्रह्मा, विष्णु व महेश के द्वारा कामधेनु की स्तुति की गई है –

त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्!
त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानघे।।

अर्थात् हे अघ्न्ये ! तुम समस्त देवों की जननी तथा यज्ञ की कारणरूपा हो और समस्त तीर्थों की महातीर्थ हो, तुमको सदैव नमस्कार है। गोमाता के गुणों की व्याख्या असीम है, ऐसे गुण जिनके पीछे स्वयं भगवान श्री कृष्ण दीवाने थे। भगवान कृष्ण अपनी अधिष्ठात्री देवी गोमाता के सामने कभी चप्पल पहनकर नहीं जाते थे। एक बार की बात है जब कृष्ण यशोदा से कहते हैं – मैं बड़ा हो गया हूं, मैं भी गौ चराने जाऊँगा। यशोदा कहती हैं – नहीं अभी तुम बड़े नहीं हुए हो। तब कृष्ण कहते हैं – नहीं देखो मैं चलने लगा हूँ। तब यशोदा ने कहा, ठीक है! मैं तुम्हारे लिए खड़ाऊं बनवा देती हूँ। कृष्ण कहते हैं – नहीं मैया! मुझे तो खड़ाऊं की जरूरत नहीं है। मैया देखो – मेरी गैया भी तो खड़ाऊं नहीं पहनती है। यदि मेरे लिए बनवाओ तो मेरी गायों के लिए भी बनवानी पड़ेगी और वे जिद करने लगे। तब यशोदा ने पंडितों को बुलाकर, मुहूर्त निकलवाकर कृष्ण को गौ चराने कि अनुमति दे दी। अष्टछाप के कवि नन्ददासजी के कहते हैं –

गोरज राजत साँवरें अंग।
देख सखी बन ते ब्रज
आवत गोबिंद गोधन संग।।

भगवान श्रीकृष्ण को केवल गायों से ही नहीं अपितु गोरस (दूध, दही, मक्खन, आदि) से भी अद्भुत प्रेम था, उस प्रेम के कारण ही श्रीकृष्ण गोरस की चोरी भी करते थे। श्रीकृष्ण द्वारा ग्यारह वर्ष की अवस्था में मुष्टिक, चाणूर, कुवलयापीड हाथी और कंस का वध गोरस के अद्भुत चमत्कार के प्रमाण हैं और इसी गोदुग्ध का पानकर भगवान श्रीकृष्ण ने दिव्य **गीतारूपी अमृत** संसार को दिया।

वह क्षेत्र जहाँ गोमाता निवास करती हैं, वह अपने आप में पवित्र और धार्मिक स्थल होता है, जहाँ पर समय व्यतीत करने से वही अनुभव होता है जो एक मंदिर या तीर्थ स्थान में अनुभव होता है। स्वयं वशिष्ठ जी ने गौपनिषद में कहा है –

घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः।
घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे
घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्।
घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च।
गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्

अर्थात, घी और दूध देने वाली, घी की उत्पत्ति का स्थान, अर्थात, घी को प्रकट करने वाली, घी की नदी तथा घी की भंवर रूप गौएं मेरे घर में सदा निवास करें। गौ का घी मेरे हृदय में सदा स्थित रहे। घी मेरी नाभि में प्रतिष्ठित हो। घी मेरे सम्पूर्ण अंगों में व्याप्त रहे और घी मेरे मन में स्थित हो। गौएँ मेरे आगे रहें, गौएं मेरे पीछे भी रहें, गौएं मेरे चारों ओर रहें और मैं गौओं के बीच में निवास करूँ।

महर्षि वशिष्ठ गोमाता को भूमि पर ईश्वर का प्रयक्ष रूप मान कर प्रणाम करते हैं –

यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजंगमम्।
तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्।।

(महाभारत अनुशासन पर्व
अध्याय ८० श्लोक ३)

अर्थात जिसने समस्त चराचर जगत् को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गोमाता को मैं मस्तक झुका कर प्रणाम करता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी इक्ष्वाकुवंशी महाराजा सौदास से (भगवान राम के पूर्वज) **"गवोपनिषद्"** में गोमाता की महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि संसार में गौ से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है। उससे श्रेष्ठ दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 599 ई०पू० महावीर स्वामीजी के समय, अर्धमागधी प्राकृत भाषा में रचित जैन आगमों के अनुसार किसी के धन का आकलन गायों की संख्या से होता था। एक व्रज गौकुल = १०,००० गायें। महावीर जी के पिता राजा सिद्धार्थ के वैशाली गणराज्य में सर्वाधिक **गायों के १० स्वामियों को 'राजगृह महाशतक' एवं 'काशियचुलनिपिता'** कहा जाता था। महावीर जी ने अपने अनुयायियों को ६०,००० गायों के पालन का आदेश दिया था। आज भी जैन मुनि नंगे पैर सम्पूर्ण देश में भ्रमण कर समाज को शाकाहार और गौ पालन का संदेश देते आ रहे हैं।

प्राचीन काल से ही संतों, महात्माओं, मुनियों, वेद–पुराणों, शास्त्रों और भिन्न–भिन्न भाषाओं में लिखे ग्रन्थों ने गोमाता के गुणों की महिमा का बखान किया है, जो मानव जाति को सदैव संदेश रूप में यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि अहिंसा, प्रेम, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा ही उत्कृष्ट गुण हैं, जो हर समस्या का समाधान हैं, स्वयं और समाज के उत्थान का मूल कारण हैं। अहिंसात्मक विचारों के साथ प्रेम भाव से गोमाता की निस्वार्थ सेवा, व्यक्ति को भी दैवीय गुणों से सम्पन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करती है।

वैद्य नंदिनी भोजराज (एम.डी., आयुर्वेद)

वृद्धावस्था में विशेष लाभदायक है पंचगव्य

उत्पत्ति, स्थिति एवम् लय यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। ब्रह्माण्ड में उत्पन्न हुई संपूर्ण सजीव सृष्टि के प्रत्येक जीव को उपरोक्त अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मनुष्य की आयु का विचार करते समय ''आयुर्वेद'' शरीर की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन आयु के आधार पर करता है। सर्व सामान्यतः **''शतायुषी भव''** ऐसा आदर्श आशीर्वाद दिया जाता है। इस पीढ़ी का अहोभाग्य है कि हम अपने ''परदादा'' तक घर के बुजुर्ग घरों में प्रत्यक्ष देखते हैं। यह लंबी एवम् स्वस्थ उम्र का रहस्य ''गाय'' में समाया हुआ ध्यान में आता है। ऐसे उल्लेख हमें वेदों में भी प्राप्त होते हैं। पुत्र प्राप्ति हेतु राजा दिलीप की गोसेवा करने का उदाहरण सर्वश्रुत है। ऐसे उदाहरण आज वर्तमान में भी दिखाई देते हैं। मोक्ष प्राप्ति हेतु वैतरणी पार करने के लिए **''गोदान''** का महत्व हमारी संस्कृति हमें बताती है।

हमारा शरीर सप्त धातु, तीन दोष, मन एवम् ओज से युक्त है, ऐसा आयुर्वेद बताता है। इन सबकी उत्तम निर्मिति एवम् पोषण में गोवंश का महत्वपूर्ण योगदान है। संपूर्ण सृष्टि पंचमहाभूतों से बनी है, वे हैं पृथ्वी (भूमि), जल (पानी), तेज (अग्नि), वायु (पवन) एवम् आकाश। हमारा शरीर भी उसी में से एक है। अतः उसके निर्माण एवम् पोषण में इन सबका उचित अनुपात में होना आवश्यक है।

दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि घर का बालक उसके माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी, बुआ, मामा, मौसी एवम् चाचाजी आदि का चेहरा, कद, बाल, वर्ण, आँखें, आदि में समानता दिखाई देती है। कभी–कभी तीसरी पीढ़ी में हम विशिष्ट गुण पुनः उभरकर प्रकट होते देखते हैं। इसका मूल आधार उनके गुणसूत्रों के नई पीढ़ी में प्रकटीकरण से हम देख सकते, समझ सकते हैं। आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक बीमारी के रूप में भी इसे सहजता से समझा जा सकता है।

गोविज्ञान अनुसंधान केन्द्र एवम् CSIR-CIMAP के संयुक्त प्रयास से कामधेनु गोमूत्र अर्क को अमेरिका का पेटेंट प्राप्त हुआ। उसमें DNA Repair के महत्वपूर्ण गुण विशेष को देखा गया। हमारे शरीर में कुछ कारणों से DNA में खराबी उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थिति में कामधेनु गोमूत्र अर्क को आयुर्वेदिक चिकित्सक जिसने पंचगव्य का सखोल अभ्यास किया है, उसके द्वारा प्रयत्नपूर्वक, लगन से करने से लाभ होता दिखाई देता है। भारतीय वंश के स्वस्थ गोवंश का गोबर एवम् गोमूत्र शरीर की शुद्धि के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। अतः इन्हीं गुणों के आधार पर कैन्सर की कोषिकाओं को खत्म करके उनके तत्व शरीर से बाहर निकालना ही शरीर शुद्धि है। साथ ही अन्य अशुद्धि को भी शरीर के मल, मूत्र, पसीना एवम् उत्सर्जित वायु द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है।

शरीर की शुद्धि एवम् पोषण का क्रम बराबर होता रहा एवम् उचित उत्तम व्यायाम किया गया तो अधिक उम्र का व्यक्ति भी कम उम्र का लगता है। इसके विपरीत कम आयु होते हुए भी दिखने में आयु अधिक दिखती है। अतः जीवनीय गुण का भारतीय गोवंश का दूध अधिक–से–अधिक लोगों के लिए उपलब्ध हो, ऐसा प्रयास भी होना आवश्यक है। वर्तमान ऋतु में ग्रीष्म की अत्यंत अधिक उष्मा/ गर्मी होने से शरीर से जल महाभूत का अनुपात कम हो सकता है। अतः इन दिनों में उसकी मात्रा प्रयत्नपूर्वक अनुपात में रखना आवश्यक है। सूरज की इस तीव्र धूप को सहने के लिए गाय के दूध में थोड़ा गाय का घी साथ में शक्कर (मिश्री) डालकर लेना लाभप्रद है। गाय का घी (गोघृत) शरीर को ठंडक देता है, साथ ही अपने स्निग्ध गुण से पानी को पकड़कर रखता है। परिणामवश शरीर में रूखापन नहीं आता। इन दिनों में गाय के दूध द्वारा बने मलाई दार दही द्वारा बने मक्खन का सेवन भी अत्यंत शीतलता प्रदान करता है। हमारे शरीर की मज्जासंस्था यानी मस्तिष्क एवम् नाड़ियों के उत्तम पोषण हेतु यह मक्खन विशेषोपयोगी है। ताजा मक्खन सुबह मिश्री के साथ सेवन करना चिकित्सक के मार्गदर्शन में करने से अधिक लाभ हो सकता है। शतधौत घृत को त्वचा में चेहरे पर, पाँवों के तलुओं पर लगाना ग्रीष्मऋतु में लाभदायक होता है। अनार, गीला/सूखा नारियल, कोकम, काली मुन्नका, खस, चंदन, आंवले का मुरब्बा, गुलकंद भी उचित मात्रा में लेना लाभप्रद होता है।

अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, देवलापार, नागपुर द्वारा संचालित महल एवम् 146 शिवाजीनगर, नागपुर स्थित पंचकर्म केन्द्र से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

अधिवक्ता शशांक शेखर (क्षेत्रीय गोरक्षा प्रमुख)

गौ-हत्या, लोक-व्यवस्था और निवारक निरोध
Sameer v. State of U.P. का विशद विधिक विश्लेषण

भारतीय संस्कृति, गौ और विधिक चेतना

भारतीय समाज में गाय का स्थान केवल एक जीव या आर्थिक संसाधन के रूप में सीमित नहीं है; वह सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक आस्था और ग्राम्य जीवन की धुरी के रूप में प्रतिष्ठित है। प्राचीन भारतीय परंपरा में गौ को **"गोमाता"** के रूप में अभिहित किया गया है–एक ऐसी सत्ता जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की साधिका मानी गई है। राम और कृष्ण जैसे अवतारों की समस्त कल्पना "गौ–द्विज हितकारी" के रूप में की गई है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय मानस में गौ केवल प्राणी नहीं, बल्कि एक जीवनदायी तत्व है।

भारतीय कृषि व्यवस्था, विशेषकर पारंपरिक जैविक खेती, गोवंश पर आश्रित रही है। गोबर और गोमूत्र से निर्मित पंचगव्य आज भी औषधीय एवं कृषि दोनों क्षेत्रों में उपयोगी माना जाता है और आधुनिक समय में भी इनकी उपयोगिता पर वैश्विक स्तर पर शोध हो रहे हैं। ऊर्जा संकट के समय गोबर से उत्पादित मीथेन (Biogas / CNG) एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में भारत की आत्मनिर्भरता का आधार बन सकता है। प्रत्येक शिवालय में नंदी की स्थापना, गौ को देवमाता के रूप में प्रतिष्ठा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी केंद्रीय भूमिका– ये सभी तथ्य इस बात को पुष्ट करते हैं कि गौ भारतीय जीवनदर्शन की अभिन्न कड़ी है।

ऐसे सांस्कृतिक परिवेश में गौ–हत्या को केवल एक आपराधिक कृत्य के रूप में देखना वास्तविकता का

अधूरा आकलन होगा। यह केवल विधि का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जो व्यापक सामाजिक प्रतिक्रिया, धार्मिक आक्रोश और साम्प्रदायिक तनाव को जन्म दे सकती है। यही इस निर्णय का मूल तत्व है–कि गौ–हत्या "केवल विधि एवं व्यवस्था का प्रश्न नहीं", बल्कि परिस्थितियों के अनुसार "लोक–व्यवस्था" को प्रभावित करने वाला विषय बन सकता है। इसी पृष्ठभूमि में Sameer v. State of U.P. का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि गौ–हत्या की घटना, यदि उसका प्रभाव व्यापक सामाजिक अशांति उत्पन्न करता है, तो वह "Public Order" के दायरे में आएगी और उसके आधार पर निवारक निरोध (Preventive Detention) न्यायोचित हो सकता है।

विधि एवं लोक व्यवस्था : सिद्धांत और न्यायिक व्याख्या

भारतीय न्यायशास्त्र में "विधि एवं व्यवस्था" (Law and Order) तथा "लोक व्यवस्था" (Public Order) के मध्य अंतर अत्यंत सूक्ष्म किन्तु निर्णायक है। इस सिद्धांत का प्रामाणिक प्रतिपादन **सर्वोच्च न्यायालय ने Ram Manohar Lohia v. State of Bihar में किया, जहाँ यह कहा गया कि प्रत्येक विधि– उल्लंघन "Law and Order" को प्रभावित करता है, परंतु वही कृत्य "Public Order" का विषय बनता है जिसका प्रभाव समाज के व्यापक वर्ग पर पड़े और जनजीवन की सामान्य गति को बाधित करे। न्यायालय ने इस अंतर को "तीन संकेंद्रित वृत्तों" के माध्यम से समझाया–सबसे बाहरी वृत्त "Law and Order", उसके भीतर "Public Order" और सबसे भीतर "Security of State"।** इसका अभिप्राय यह है कि हर सामाजिक विघटन समान स्तर का नहीं होता; उसका प्रभाव और विस्तार ही उसकी विधिक श्रेणी निर्धारित करता है।

इसी सिद्धांत को आगे विकसित करते हुए Arun Ghosh v- State of West Bengal में सर्वोच्च न्यायालय ने "Even Tempo of Life" की अवधारणा प्रस्तुत की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी कृत्य की गंभीरता उसके स्वरूप से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से निर्धारित होती है–क्या वह समाज के सामान्य जीवन–प्रवाह को बाधित करता है या नहीं। यदि कोई घटना

केवल दो व्यक्तियों के बीच सीमित रहती है, तो वह Law and Order का विषय है; किंतु यदि वही घटना सामुदायिक–साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न कर देती है और समाज के व्यापक वर्ग को प्रभावित करती है तो वह Public Order का प्रश्न बन जाती है।

इसी "Effect Test" को अपनाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Sameer प्रकरण में यह स्पष्ट किया कि किसी कृत्य का मूल्यांकन उसकी मंशा से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव से किया जाना चाहिए। न्यायालय का दृष्टिकोण यह रहा कि यदि किसी घटना के परिणामस्वरूप जनजीवन की सामान्य गति बाधित होती है तो वह स्वतः लोक–व्यवस्था के विघटन की श्रेणी में आ जाती है, भले ही प्रत्यक्ष हिंसा या जनहानि न हुई हो।

गौ–हत्या और लोक–व्यवस्था : न्यायालयों का दृष्टिकोण

न्यायालयों ने समय–समय पर यह स्वीकार किया है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें समाज की संवेदनशीलता अत्यधिक होती है और जिनका प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता। गौ–हत्या ऐसा ही एक विषय है, जो भारतीय सामाजिक संरचना में गहरे निहित धार्मिक और सांस्कृतिक भावों से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में Shaukat Ali V. Union of India में यह स्पष्ट किया गया कि गौ–हत्या से साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है और यह केवल Law and Order का प्रश्न नहीं, बल्कि Public Order का विषय है। इसी प्रकार Tauqeer v. State of U.P. में न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं रखता जिससे साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो।

Guddu Panchhi v. District Magistrate Kanpur Nagar में न्यायालय ने गौ–हत्या की घटना के पश्चात उत्पन्न भीड़, नारेबाजी, बाजार बंद और पुलिस बल की तैनाती को लोक–व्यवस्था के विघटन का प्रत्यक्ष प्रमाण माना। वहीं Wasi v. State of U.P. में यह कहा गया कि सार्वजनिक स्थान पर गौ–हत्या का प्रभाव व्यापक सामाजिक जीवन को बाधित करता है और इस प्रकार यह Public Order को प्रभावित करता है। इन सभी निर्णयों का सार यही है कि गौ–हत्या का कृत्य अपनी प्रकृति में ऐसा है जो तत्काल और व्यापक सामाजिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और इसलिए इसे केवल एक साधारण आपराधिक कृत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।

वर्तमान प्रकरण : घटना से लोक–व्यवस्था तक

Sameer प्रकरण में न्यायालय ने पाया कि गौ–हत्या की घटना के पश्चात स्थिति केवल एक अपराध की प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने पूरे क्षेत्र के सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर दिया। घटना के बाद लोगों का बड़ी संख्या में एकत्रित होना, नारेबाजी, सड़क अवरोध, यातायात का ठप होना तथा अनेक गाँवों में तनाव–ये सभी तथ्य इस बात के द्योतक थे कि जनजीवन की सामान्य गति बाधित हो चुकी थी।

न्यायालय ने विशेष रूप से यह रेखांकित किया कि **"लोक–व्यवस्था"** के विघटन के लिए वास्तविक हिंसा आवश्यक नहीं है; यदि समाज का सामान्य जीवन–प्रवाह बाधित हो जाए तो वह पर्याप्त है। इस प्रकार, "Even Tempo of Life" का सिद्धांत इस मामले में निर्णायक सिद्ध हुआ।

निवारक निरोध और न्यायिक संतुलन

इस प्रकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी था कि अभियुक्त पहले से ही हिरासत में था, फिर भी उसके विरुद्ध निवारक निरोध का आदेश पारित किया गया। इस संदर्भ में न्यायालय ने Kamarunnissa v. Union of India के सिद्धांतों का अनुसरण किया, जिसमें यह स्थापित किया गया है कि हिरासत में बंद व्यक्ति के विरुद्ध भी निवारक निरोध वैध हो सकता है, यदि प्राधिकरण को यह संतोष हो कि उसकी रिहाई के पश्चात वह पुनः ऐसे कृत्य करेगा जो लोक–व्यवस्था को प्रभावित करेंगे।

न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध खुफिया सूचनाएँ यह दर्शाती हैं कि वह जमानत पर छूटने के पश्चात पुनः गौ–हत्या जैसे कृत्य में संलिप्त हो सकता है, जिससे सामाजिक अशांति उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार, Detaining Authority DH Subjective Satisfaction को न्यायालय ने वैध और उचित माना।

विधि, समाज और संतुलन

इस विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि Sameer v. State of U.P. का निर्णय केवल एक न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि भारतीय सामाजिक यथार्थ और विधिक सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। यह निर्णय यह स्थापित करता है कि गौ–हत्या जैसे कृत्य, भारतीय समाज की संवेदनशील संरचना में, केवल एक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता को प्रभावित करने वाला तत्व हो सकते हैं। अतः जब किसी घटना का प्रभाव व्यापक हो और वह जनजीवन की सामान्य गति को बाधित करे तो उसे "लोक–व्यवस्था" के विघटन के रूप में देखना न केवल विधिसम्मत है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी आवश्यक है। साथ ही, यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि राज्य की भूमिका केवल अपराध के पश्चात दंड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित सामाजिक अशांति को रोकना भी उसका दायित्व है।

अंततः, यह निर्णय भारतीय न्यायशास्त्र में उस सिद्धांत को पुनः स्थापित करता है कि कानून केवल नियमों का संकलन नहीं, बल्कि समाज की वास्तविकताओं का दर्पण है और जहाँ समाज की संवेदनशीलता गहरी हो, वहाँ विधि की व्याख्या भी उसी अनुरूप विस्तृत और व्यावहारिक होनी चाहिए।

अधिवक्ता शशांक शेखर (क्षेत्रीय गोरक्षा प्रमुख)

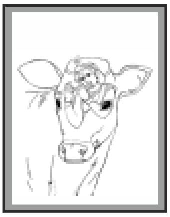

एक दृष्टि में मा. न्यायालय का निर्णय (सार संक्षेप)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (हेबियस कॉर्पस रिट याचिका संख्या - 741 वर्ष 2025)

समीर एवं अन्य (याचिकाकर्ता) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य (प्रतिवादी)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : बृजेश कुमार यादव, नरेंद्र कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मनीष पांडेय, जी.ए.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा गत माह उपरोक्त मामले में समीर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद में, माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता समीर ने अपने पिता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा पारित निरोध आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि को चुनौती दी थी। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया कि दिनांक 15.03.2025 को पुलिस दल को ग्राम लव्वादौदपुर, थाना झिंझाना, जनपद शामली में गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए, जिसके आधार पर गोहत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ। घटना होली के समय की होने के कारण क्षेत्र में व्यापक आक्रोश उत्पन्न हुआ, भीड़ एकत्रित हुई, विभिन्न संगठनों ने विरोध किया, मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया और जनजीवन प्रभावित हुआ, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर पाँच अभियुक्तों के नाम सामने आए तथा पुलिस कार्रवाई में तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने पूछताछ में गोहत्या की घटना स्वीकार की तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करने की बात कही। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी भी हुई और उसके पास से अवैध चाकू बरामद हुआ, जिसकी कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड की गई। घटना के फैलने से अनेक गांवों में तनाव, जाम एवं अशांति की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी पुष्टि विभिन्न रिपोर्टों एवं खुफिया सूचनाओं से हुई। यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता जमानत प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था तथा उसके पुनः गोहत्या जैसे अपराध में संलिप्त होने की आशंका व्यक्त की गई, जिस आधार पर निरोध प्राधिकारी ने यह संतोष दर्ज किया कि उसकी रिहाई सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होगी।

न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता को विधि अनुसार प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान किया गया तथा निरोध आदेश विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह मात्र विधि–व्यवस्था का मामला है, किंतु न्यायालय ने स्थापित विधिक सिद्धांतों के आधार पर विधि–व्यवस्था एवं सार्वजनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए यह माना कि गोहत्या जैसी घटना, विशेषकर सामुदायिक संवेदनशीलता एवं उसके दुष्परिणामस्वरूप उत्पन्न व्यापक प्रतिक्रिया, भीड़, मार्ग अवरोध एवं जनजीवन के ठहराव को देखते हुए, केवल विधि–व्यवस्था का नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कृत्य है। न्यायालय ने विभिन्न पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए यह भी माना कि ऐसी घटनाओं से सामुदायिक–साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है और सार्वजनिक शांति भंग होती है। साथ ही, न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के पुनः ऐसे कृत्य करने की संभावना के समर्थन में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी तथा निरोध आदेश पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि या मनमानी नहीं पाई गई। प्रतिनिधित्व के निस्तारण में भी कोई अनुचित विलंब नहीं पाया गया।

अतः समस्त तथ्यों एवं विधिक परीक्षण के आधार पर माननीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि निरोध आदेश वैध एवं विधिसम्मत है और अंततः याचिका निरस्त कर दी गई।

Dr.Shashankdhar Shekhar
Adv.Patna High Court
All india legal chief Goraksha Vibhag VHP

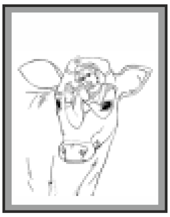

COW SLAUGHTER & PUBLIC ORDER
IMPACT BEYOND LAW AND ORDER

Introduction

Referred case underscores that cow slaughter, though an offence in law, cannot be viewed as a mere law and order issue when its impact trigger's widespread public reaction. Given its sensitive religious and social implications, such an act has the inherent potential to disturb communal harmony and the even tempo of life, thereby elevating it into a matter of public order rather than a simple breach of law and order.

Case Analysis (Commentary)

In referred habeas corpus petition, the detention of the petitioner under the National Security Act 1980 was challenged on the ground that the alleged act (cow slaughter) amounted merely to a law-and-order issue and not public order.

The Court rejected this contention and emphasized that the distinction depends on the impact of the act on society, not merely the nature of the offence. It observed that cow slaughter is an inherently sensitive issue capable of triggering communal tension and widespread public unrest.

On facts, the Court noted that the incident led to mob gathering, road blockade, disruption of traffic, and deployment of police force across multiple villages, thereby disturbing the even tempo of life. Hence, it clearly transcended a simple breach of law and order and fell within the domain of public order.

The Court further held that:

- ❖ The Detaining Authority had applied its mind properly and recorded valid subjective satisfaction.
- ❖ There was reliable material (intelligence inputs) indicating a real possibility of the petitioner's release on bail and likelihood of repeating similar acts.
- ❖ No unexplained delay occurred in disposal of representations.

Relying on settled principles laid down in:

- ❖ Ram Manohar Lohia v. State of Bihar and another, AIR 1966 SC 740,
- ❖ Arun Ghosh v. State of W.B., (1970) 1 SCC 98 ,
- ❖ Kamarunnissa v. Union of India and another, (1991) 1 SCC 128,

The Court concluded that preventive detention was legally justified and resultant Habeas Corpus Petition Dismissed.

Referred Judgment / Order-:
Sameer v. State of U.P.
Court: High Court of Judicature at Allahabad
Bench: J.J. Munir & Sanjiv Kumar
Coram: Hon'ble J.J. Munir, J. (Authoring Judge) & Hon'ble Sanjiv Kumar, J.
Order date: 16/04/2026

Dr. Sanjay Raman "Vidyavachaspati"

THE SOCIETAL AND CULTURAL DIMENSIONS OF PANCHAGAVYA

The traditional formulation known as Panchagavya- a blend of milk, curd, ghee, urine and dung occupies a unique position in the collective consciousness of agrarian societies. Beyond its chemical properties, it represents a deep-seated philosophy of resourcefulness and ecological balance. While modern research often focuses on its molecular structure, the true significance of Panchagavya lies in its role as a cornerstone of rural economy, social cohesion and the preservation of indigenous knowledge systems. It acts as a bridge between the spiritual reverence for nature and the practical necessities of sustainable living.

A Catalyst for Rural Self-Reliance and Economy

The preparation and application of Panchagavya serve as a powerful tool for Gram Swaraj (village self-sufficiency). In an era where modern agriculture is increasingly dependent on expensive, external inputs like synthetic fertilizers and pesticides, Panchagavya empowers small-scale farmers to utilize local resources. By converting bovine derivatives into potent growth promoters, a farmer significantly reduces production costs and breaks the cycle of debt associated with industrial farming. This shift moves the

control of the means of production from large corporations back into the hands of the individual cultivator, fostering a sense of agency and financial security.

This economic shift has significant social implications. It restores the dignity of traditional farming practices and creates localized micro-economies. Women's self-help groups and rural cooperatives often lead the production of Panchagavya-based products, ranging from organic fertilizers to traditional wellness items. This not only provides a steady source of income but also strengthens the social fabric by fostering collaborative work and the sharing of ancestral wisdom between generations. When a community produces its own agricultural inputs, it builds a resilient network that is less vulnerable to global market fluctuations, ensuring that rural wealth remains within the village ecosystem.

Ecological Ethics and the Circular Way of Life

Panchagavya is an embodiment of the circular economy, a concept where nothing is viewed as "WASTE". In this framework, the cow is seen as a biological hub that converts local flora into high-value substances that rejuvenate the earth. This practice cultivates a social ethic of conservation and respect for biodiversity. Communities that prioritize the use of these five derivatives tend to maintain a closer bond with their environment, recognizing that the health of the soil is directly linked to the health of the livestock and ultimately, the human population. This interconnectedness encourages a more compassionate approach to animal husbandry, where the welfare of the cattle is seen as essential to the prosperity of the farm.

Furthermore, the social significance of Panchagavya extends to the conservation of indigenous cattle breeds. Because the effectiveness of the formulation is traditionally linked to the specific biological traits of native breeds, its use provides a practical incentive for communities to protect

these animals from extinction. These breeds are not just biological entities; they are actually living repositories of regional history and culture. Protecting them ensures that the unique genetic diversity suited to local climates is not lost to homogenization.

By integrating these practices into daily life, society ensures that the symbiotic relationship between humans and nature remains a lived reality rather than a historical footnote. This biological and social continuity offers a formidable defense against environmental degradation. Ultimately, Panchagavya serves as a model for regenerative living, demonstrating that the solutions to modern ecological crises may well lie in the thoughtful application of time-tested traditional wisdom, ensuring a sustainable and harmonious future for rural landscapes.

Dr. Aastha Pathak

THE COW: A CIVILIZATIONAL SYMBOL OF HARMONY, SUSTAINABILITY, AND DHARMA

In the Indian civilizational ethos, the cow holds a place that transcends mere utility. It is not only an animal of economic importance but also a symbol deeply interwoven with culture, spirituality, agriculture, and ecological balance. Revered across centuries, the cow represents a way of life rooted in harmony with nature, self-restraint, and sustainability.

From the Vedic period to the present day, the cow has been regarded as Gomata, a nurturing mother. This symbolic association is not accidental. Just as a mother nourishes her child selflessly, the cow sustains human life in multiple ways. Milk, curd, ghee, butter, and buttermilk form an integral part of daily nutrition in Indian households. These products are not only sources of nourishment but also carry cultural and ritual significance, finding a place in religious ceremonies and traditional practices.

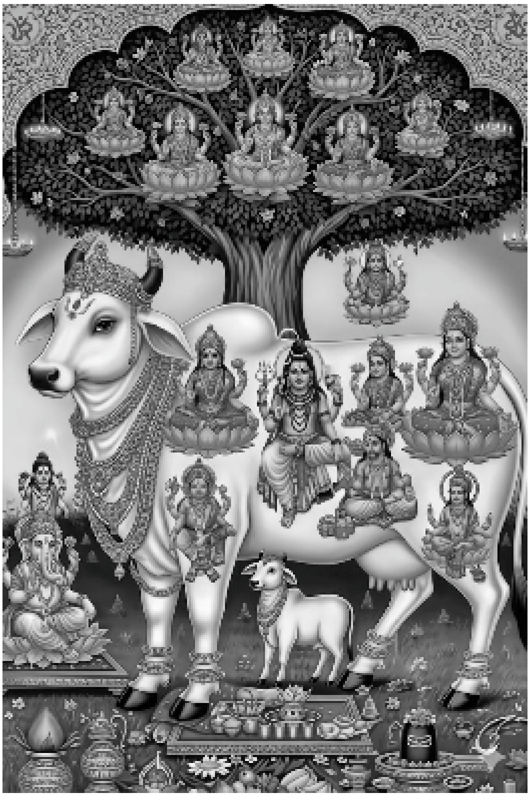

Beyond nutrition, the cow has historically been central to rural livelihoods. In an agrarian society like India, cattle have been indispensable partners in farming. Bullocks have ploughed fields, transported goods, and supported agricultural productivity for generations. Cow dung, often underestimated in modern discourse, has served as a valuable resource used as organic manure, fuel, and even as a natural disinfectant. In an era where sustainable agriculture is gaining global attention, these traditional practices offer lessons in ecological wisdom.

Cow dung and urine have also been utilized in indigenous systems for their potential medicinal and environmental benefits. Organic farming movements today increasingly recognize the importance of natural inputs, many of which are derived from cattle. Panchagavya, a traditional formulation made from cow products, is used both in agriculture and certain cultural rituals, symbolizing the interconnectedness of life processes.

The reverence for the cow is also deeply

embedded in Indian philosophy. The concept of ahimsa (non-violence), central to many Indian traditions, extends to all living beings. The cow, gentle and giving by nature, becomes a natural embodiment of this principle. Protecting and caring for cows is seen not merely as an act of compassion but as an expression of a broader ethical worldview—one that values life, balance, and mutual coexistence.

In the socio-cultural domain, the cow has been a unifying symbol. Festivals, rituals, and community practices often involve the worship and care of cows. These traditions reinforce a sense of gratitude towards nature and the beings that sustain human life. In villages, cows are not treated as commodities but as members of the household, reflecting a relationship based on respect rather than exploitation.

In recent times, as the world grapples with environmental crises, climate change, and unsustainable consumption patterns, the traditional Indian approach to cattle rearing offers valuable insights. Indigenous breeds of cows are well-adapted to local climates,

require fewer resources, and contribute to biodiversity. Promoting such breeds aligns with the principles of sustainable development and ecological resilience.

However, modernization and urbanization have posed challenges to this traditional system. Mechanization of agriculture, shrinking grazing lands, and changing economic priorities have led to a decline in cattle-based livelihoods. This calls for a renewed approach one that integrates traditional wisdom with modern science. By supporting dairy cooperatives, encouraging organic farming, and investing in rural infrastructure, it is possible to revitalize the role of the cow in a contemporary context.

Education also plays a crucial role in this regard. Younger generations must be made aware of the multifaceted importance of the cow not merely as a cultural symbol but as a cornerstone of sustainable living. Research and innovation in areas such as bio-fertilizers, renewable energy from biogas, and value-added dairy products can further enhance the relevance of cattle in today's economy.

Importantly, discussions around the cow must remain rooted in inclusivity and constructive dialogue. The cow's significance should be presented as a shared heritage that inspires positive action such as environmental conservation, rural development, and ethical living rather than as a point of division. Emphasizing its contributions to health, agriculture, and ecology can foster broader understanding and appreciation.

In conclusion, the cow is much more than an animal in the Indian context it is a symbol of a holistic way of life. It represents nourishment, sustainability, compassion, and cultural continuity. At a time when humanity is searching for balanced and sustainable ways of living, revisiting the values associated with the cow can offer meaningful guidance. By preserving and promoting this legacy, we not only honor our traditions but also contribute to building a more harmonious and sustainable future.

हार्दिक निवेदन

सभी गोभक्त–गोप्रेमी बंधुओं से करबद्ध अनुरोध है कि वे इस पत्रिका का सदस्य अवश्य बनें और अन्य गोभक्तों को भी सदस्य बनायें। कृपया सभी लोग अपना वार्षिक अथवा आजीवन सदस्यता शुल्क निम्नलिखित बैंक व खाता नंबर में जमा कराएं –

पंजाब नेशनल बैंक, बसंत लोक, नई दिल्ली

खाता नम्बर – 04072010038910 IFSC CODE : PUNB0040710

नोट – शुल्क "भारतीय गोवंश रक्षण संवर्द्धन परिषद" के नाम पर जमा करें। सम्पर्क सूत्र : 011.26174732

pnb punjab national bank

...the name you can BANK upon!

अब आप यूपीआई के माध्यम से भी पत्रिका का शुल्क जमा कर सकते हैं

SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP

9958710672m@pnb

MERCHANT: BHARTIYA GOVANSH RAKSHAN SAMVARDHAN PARISHAD

BHIM | UPI

BHARAT INTERFACE FOR MONEY | UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

नागपुर में संच बैठक संपन्न

– दिनेश उपाध्याय (अ. भा. गोरक्षा प्रमुख)

नागपुर में गत माह गोरक्षा विभाग, विहिप की संच बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। सर्वप्रथम 26 मई को होने वाले बकरीद के अवसर पर गोरक्षा विभाग द्वारा सभी प्रमुख स्थानों पर शासन–प्रशासन को ज्ञापन सौंपे जायेंगे। देवलापार अनुसंधान केन्द्र में प्रति माह होने वाले प्रशिक्षण की तिथियां भी घोषित की गई हैं – मई में 26 से 30 तक, जून में 26 से 30 तक, जुलाई में 19 से 23 तक, अगस्त में 18 से 22 तक, सितम्बर में 09 से 13 तक, अक्टूबर में 22 से 26 तक, नवम्बर में 25 से 29 तक और दिसम्बर में 25 से 29 तक प्रशिक्षण दिये जायेंगे।

संरक्षण मंडल सदस्य बनने पर आपको हार्दिक शुभकामनाएँ

पद्मेश गुप्ता

उद्योगपति

अध्यक्ष, गोविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, देवलापार

सम्माननीय संरक्षण मंडल सदस्य

190, हरीनिकुन्ज, म्युजियम रोड, सिविल लाइन्स्

नागपुर, महाराष्ट्र – 440001

मोबाइल नम्बर : 98600 64285

"LPC DELHI, DELHI PSO, DELHI RMS, DELHI-6"
Email : gosampada@gmail.com
website : www.vhp.org

Registered No. DL-SW-01/4027/24-26
RNI No. 69508/98 प्रस्तुति : 13–14
प्रकाशन तिथि : 11 मई, 2026

प्रकाशक व मुद्रक राजेन्द्र प्रसाद सिंहल ने रायल प्रेस,
बी 81, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित कर भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद् (विहिप)
संकटमोचन आश्रम, सेक्टर-6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22 के लिए प्रकाशित की। संपादक - देवेन्द्र नायक